केकड़ी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9/2024/225 मंजू v/s प्रीति वगै.

तारीख	2024/9 — हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री आशिष जैन — श्री R.I. शर्मा-01	
11.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उपस्थित उप. प्रतिभाषक अपीलांट को शेष रेस्पोंडेन्ट्स के रजि. ए.डी. नोटिस पेश किये जाने हेतु कई बार अवसर दिये जा चुके है. न्यायहित में एक अवसर और दिया जाता है। आपत्ति आवश्यक रूप से नोटिस पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रेस्पो.सं. 2 से 7 रजि. ए.डी. दिनांक 3/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
3/12/25	पत्रावली पेश की गई। ~~[struck through]~~। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को शेष रेस्पो स. 2 से 7 के नोटिस पेश किये जाने हेतु दिनांक 27.9.24 से निरन्तर 10 अवसर दिये जा चुके है किन्तु नोटिस पेश नहीं किये है. अतः न्यायालय हुक्म के आदेश की पालना नहीं किये जाने के कारण अपील अपीलांट अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

33 f. 1A.D.T आशीषा जो की अपील पेश की जो वांछ अप्र रिपोर्ट होकर पेश है।
8/01/24

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टिनेन्सी एक्ट संख्या 09 सन 2024 जिला केकडी

(2024/9)

मंजू पुत्री बजरंग पत्नि रमेश चंद जाति महाजन निवासी केकडी हाल निवासी जयपुर।

...............अपीलांट

बनाम

1. प्रीति पुत्री चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी हाल निवासी गाडरमाला जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी।
3. उपपंजीयक केकडी जिला केकडी।
4. निर्मल कुमार पुत्र चिरंजीलाल
5. प्रदीप कुमार पुत्र चिरंजीलाल
6. आनन्द कुमार पुत्र चिरंजीलाल
7. नौरतीदेवी पुत्री चिरंजीलाल

समस्त जाति महाजन निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी।

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी दिनांक 4.1.2024 प्रकरण संख्या 44/2023 बउनवानी प्रीति बनाम मंजू में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:–

अ. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी रेस्पो0 सं0 1 ने एक राजस्व वाद एंव राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय मे प्रतिवादी/प्रार्थीया व शेष रेस्पो0 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोलकिया तहसील व जिला केकडी मे स्थित आराजी खसरा नं0 459 रकबा 2.68

Scanned with CamScanner